



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227776
CG-DL-E-22062021-227776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2269]
No. 2269]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जून, 2021

का.आ. 2447(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH2 के 786 किमी. से 978.4 किमी., NH2 के 786 किमी. से 978.4 किमी., NH2 के 786 किमी. से 978.4 किमी., NH2 के 786 किमी. से 978.4 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन/6 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार, बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH2 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डी एल ए ओ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 के कि.मी.	बिहार	रोहतास	शेयसागर	1 गोरवार
						2 गोडवार

		895.2 से 910.5 तक			
2	डी एल ए ओ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 के कि.मी. 843.25 से 861 तक	बिहार	कैमूर (भभुआ)	दुर्गावती 1 रोहुआ
3	डी एल ए ओ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 के कि.मी. 877.6 से 893.75 तक	बिहार	कैमूर (भभुआ)	कुंद्रा 1 जहानाबाद 2 करमा
4	एस डी एम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 के कि.मी. 809.5 से 835 तक	उत्तर प्रदेश	चन्दौली	चन्दौली 1 जटमलपुर

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 21st June 2021

S.O. 2447(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 786 to Km. 978.4 of the NH2, Km. 786 to Km. 978.4 of the NH2, Km. 786 to Km. 978.4 of the NH2, Km. 786 to Km. 978.4 of the NH2 for building (widening / four-laning/ Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR,BIHAR,BIHAR,UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH2 in the State of BIHAR,BIHAR,BIHAR,UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	DLAO	895.2KM To 910.5KM	BIHAR	ROHTAS	Sheosagar	1 Gorwar 2 Godwar

2	DLAO	843.25KM To 861KM	BIHAR	KAIMUR (BHABUA)	Durgawati	1 Rohuaa
3	DLAO	877.6KM To 893.75KM	BIHAR	KAIMUR (BHABUA)	Kudra	1 Jahanabad 2 Karma
4	SDM	809.5KM To 835KM	UTTAR PRADESH	CHANDAULI	Chandauli	1 Jatmalpur

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009]

RAJESH GUPTA, Director